रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 6 अप्रैल, 2006/16 चैत्र, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

सोलन, 17 फरवरी, 2006

संख्या एस0 एल0 एन0 (पंच)/2006-जाबली-253-57.—यह कि श्री गणेश दत्त अत्री, भूतपूर्व उप-प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली तथा श्री भुपेन्द्र ठाकुर का शिकायत-पत्र बाबत श्री दुनी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली, तहसील कसौली, जिला सोलन द्वारा पब्लिक फण्ड के दुरूपयोग करने बारे व गलत नादेय प्रमाण-पत्र जारी/हासिल करने बारे प्राप्त हुआ है।

1. यह कि उपरोक्त शिकायत पत्र के पैरा-3 अनुसार श्री दुनी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली, के विरूद्ध पुलिस स्टेशन धर्मपुर में एफ0 आई0 आर0 नं0 3/2006, दिनांक 1-1-2006 दर्ज करवाई गई है जिसकी पुष्टि शिकायत पत्र के साथ संलग्न एफ0 आई0 आर0 की छाया प्रति से होती है। एफ0 आई0 आर0 में आई0 पी0 सी0 की धारा 409 भी शामिल है।

2. यह कि उपरोक्त शिकायत पत्र के पैरा-4 के अन्तर्गत श्री दुनी चन्द धीमान, प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली तथा श्री नरेश अत्री, पंचायत सचिव से आडिट रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 के अनुसार रु0 1,85,615/- रुपये कावले वसूली बताई है और इसके बावजूद श्री दुनी चन्द,

प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली द्वारा पंचायत सचिव, श्री नरेश अत्री के साथ कपटपूर्वक नादेय प्रमाण-पत्र हासिल किया है ।

3. यह कि जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध अंकेक्षण-पत्र ग्राम पंचायत जाबली अवधि 4/2004 से 3/2005 के अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री दुनी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली से मु0 97,968.00 रुपये सामान्य मद तथा मु0 21,184.45 रुपये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से सम्बन्धित पेशगियां वर्ष 2003-04 व 2004-05 में दी गई थी जिसका अंकेक्षण दिनांक 30-4-2005 तक ग्राम पंचायत को प्रस्तुत नहीं किया गया था । इस सम्बन्ध में जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा उपरोक्त श्री दुनी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली को पत्र/नोटिस दिनांक 22-8-2005 जारी किया गया था कि वह उक्त पेशगी/राशियों का हिसाब/राशि जमा पंचायत करके खण्ड विकास अधिकारी, धर्मपुर के माध्यम से अनुवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत करें परन्तु इस सम्बन्ध में आज दिन तक सम्बन्धित प्रधान से कोई अनुवर्तन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

4. यह कि उपरोक्त अंकेक्षण-पत्र अनुसार मु0 8070.00, 8912.50, 8508.50, 29000.00, 260.00, 758.00, 2424.00 तथा 8800.00 रुपये क्रमशः निर्माण खेल मैदान सूजी, डंगा बाबड़ी राजपुरी, रास्ता शमराला शाई, निर्माण डंगा व रास्ता शिव मन्दिर सूजी, स्टोर टैंक दतयार, सिंचाई कूहल दतयार, शौचालय प्राथमिक पाठशाला राजड़ी तथा निर्माण सामुदायिक भवन शिव मन्दिर सूजी पर प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय अनियमित रूप से किया गया था इसलिए इस व्यय का आज दिन तक न तो समायोजन किया गया और न ही समाधान सम्बन्धी अनुवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।

5. यह कि उपरोक्त वर्णित शिकायत पत्र में दिये आरोप संख्या 5, 6, 7 तथा 9 के सम्बन्ध में थाना प्रभारी धर्मपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार श्री दुनी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली ने आरोप संख्या 6 अनुसार निर्माणाधीन बाबड़ी शेवला का कार्य मार्च, 2005 में, मुताबिक बिल बाउचर व मस्टर-रोल करवाया दर्शाया गया है जबकि जांच करने पर पाया गया कि शेवला बाबड़ी की कोई मुरम्मत न हुई है तथा बाबड़ी बनाने हेतु मात्र एक छोटा सा गढ्ढा चुनाव से पहले करवाया गया जबकि बिल बाउचर के मुताबिक 5 व्यक्तियों द्वारा लगभग 25 दिन कार्य करवाया गया है और मु0 14,250/- रुपये की राशि खर्च करना दर्शाया गया है ।

6. यह कि शिकायत पत्र के आरोप संख्या 7 के सम्बन्ध में पुलिस की जांच रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2005 में कुल 905 राशनकार्ड के एवज में गृहकर के मु0 60,000.00 रुपये की राशि को श्री दुनी चन्द, प्रधान ने ग्राम निधि में जमा न करवा कर अपने पास रखा है।

7. यह कि शिकायत पत्र के आरोप संख्या 9 के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में लिखा है कि Middle School सूजी के स्पोर्टस ग्राऊंड के लिए दो बार पैसा मंजूर करवाया गया तथा उसका निर्माण महज कागजों में ही दर्शाया पाया गया जबकि उस स्कूल का ग्राऊंड पहले से बना था और कोई डंगा बगैरा भी न दिया गया है ।

8. यह कि शिकायत पत्र के आरोप संख्या 5 के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में लिखा है कि कल्याण विभाग (Welfare Department) सोलन द्वारा आबंटित 10245.00 रुपये की राशि को भी श्री दुनी चन्द, प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया गया है। यह राशि कल्याण विभाग द्वारा कोटी में अनुसूचित जाति के लिए पानी की बावड़ी हेतु आबंटित की गई थी जबकि वास्तव में मौका पर किसी भी बावड़ी का निर्माण न हुआ है ।

9. यह कि पुलिस ने जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि श्री दुनी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली ने श्री नरेश अत्री, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत जाबली से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है तथा सरकारी पैसे का दुरुपयोग फर्जी बिल वाउचर तैयार करना, गृह कर राशि के ग्राम निधि में जमा न करके अपने पास रखना, ग्राम पंचायत को इस निधि से मिलने वाली ब्याज राशि से वंचित रखना तथा निर्वाचन अधिकारी को गलत तथ्य पेश करने बारे आरोप लगाया गया है।

10. यह कि उपरोक्त आरोपों के दृष्टिगत श्री दुनी चन्द धीमान, प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली को हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की मूल धारा 145 की संशोधित उप-धारा (2क) संशोधित अधिनियम, 2005 के प्रावधान अनुसार अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 23-1-2006 को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उन्हें उपरोक्त आरोपों के मामले में निलम्बित किया जाए। कारण बताओ नोटिस में प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली को नोटिस जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था परन्तु निर्धारित समय अवधि भीतर सम्बन्धित प्रधान से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित प्रधान अपने विरूद्ध लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त सोलन, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) (क), (ख) तथा 145 (2) और हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दुनी चन्द धीमान, प्रधान, ग्राम पंचायत जाबली, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन को निलम्बित करता हूं और उन्हें आदेश देता हूं कि उनके चार्ज में ग्राम पंचायत जाबली, विकास खण्ड धर्मपुर की यदि कोई चल-अचल सम्पति या अभिलेख हो तो उसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत के उप-प्रधान/पंचायत सचिव को सौंप दें।

राजेश कुमार,
उपायुक्त सोलन,
जिला सोलन (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित